

उपायुक्त का न्यायालय, रामगढ़।

आदेश पत्रक

नीलाम पत्र अपील वाद संख्या - 03/2020

महाप्रबंधक, रजरप्पा सी0सी0एल0

बनाम

झारखण्ड राज्य एवं सहायक खनन पदाधिकारी, रामगढ़

आदेश की क्रम
संख्या और
तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

—: आदेश :-

16-04-2021

अभिलेख उपस्थापित। नीलाम पत्र पदाधिकारी, खनन, उत्तरी छोटानागपुर अंचल, हजारीबाग में दायर नीलाम पत्र मुकदमा संख्या-01/2014-15 जिला खनन पदाधिकारी, रामगढ़ बनाम महाप्रबंधक, रजरप्पा, सी0सी0एल0, पो0+थाना-रजरप्पा प्रोजेक्ट, जिला-रामगढ़ में दिनांक 30.08.2019 को पारित आदेश के विरुद्ध अपील दायर किया गया है।

दिनांक-04.12.2020 को अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने एवं समर्पित आवेदन तथा निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सम्बन्धित समर्पित सच्ची प्रति तथा निर्गत नोटिस का अवलोकन किया गया। सरकारी अधिवक्ता के अनुरोध पर नियमानुसार सुनवाई की कार्रवाई प्रारम्भ करने से पहले न्यायालय द्वारा प्रतिभूति देनदारी राशि अर्थात् देनदारी राशि का 40 प्रतिशत राशि दिनांक-08.01.2021 तक जमा कर चलान की प्रति न्यायालय के समक्ष उपस्थापन करने हेतु अपीलार्थी (महाप्रबंधक, रजरप्पा सी0सी0एल0) की आरे से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को निर्देशित किया गया है, परन्तु बार-बार (न्यायालय दिवस दिनांक-08.01.2021, दिनांक-10.02.2021) को अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता के द्वारा राशि जमा करने हेतु समय की माँग की जाती रही है।

अतः उक्त परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थी का दायर वाद के प्रति उदासीनता को देखते हुए, अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई बन्द की जाती है।

संचित करें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
रामगढ़।

उपायुक्त,
रामगढ़

556/मिपि
13/07/2021

16/04/21
556/मिपि

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, रामगढ़

आदेश पत्रक

नीलाम पत्र अपील वाद संख्या-03/2020

महाप्रबंधक, रजरप्पा सी०सी०एल० बनाम झारखण्ड राज्य एवं सहायक
खनन पदाधिकारी, रामगढ़

आदेश की क्रम
संख्या
और तारीख

आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की गई
कार्रवाई के बारे में
टिप्पणी तारीख

26/05/25

अभिलेख उपस्थापित।

नीलाम पत्र अपील वाद संख्या-03/2020 महाप्रबंधक, रजरप्पा सी०सी०एल० बनाम झारखण्ड राज्य एवं सहायक खनन पदाधिकारी, रामगढ़ में तत्कालिन पीठासीन पदाधिकारी द्वारा दिनांक-16.04.2021 को आदेश पारित किया गया है। अपरिहार्य कारणों से उक्त वाद का अंतिम पारित आदेश राजस्व न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है। दिनांक-11.03.2025 को राजस्व से संबंधित कार्यों की समीक्षात्मक बैठक में लिए गए निर्णय के आलोक में वर्तमान पदस्थापित पीठासीन पदाधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर से उक्त वाद में पारित अंतिम आदेश की प्रति राजस्व न्यायालय के पोर्टल पर अपलोड करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई करें।

Chandray
26/05/25
उपायुक्त,
रामगढ़।